भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2699

मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

रूफटॉप सौर क्षमता और राजसहायता संवितरण की स्थिति

2699 श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:

श्री नीरज डांगी:

श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना के अंतर्गत मूल रूप से निर्धारित लक्ष्य की तुलना में जून 2025 की स्थिति के अनुसार, सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के चरण-II के अंतर्गत संस्थापित कुल रूफटॉप सौर क्षमता (मेगावाट में) कितनी है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त कर चुके शहरी और ग्रामीण परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या राजसहायता संवितरण या विक्रेताओं के पैनल निर्माण में देरी की सूचना मिली है और यदि हाँ, तो ऐसी देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रालय द्वारा, विशेष रूप से निम्न-आय और किराये पर रहने वाले परिवारों के लिए, आवेदन और संस्थापन प्रक्रिया को सरल बनाने और रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने मार्च 2019 में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II का शुभारंभ किया। अक्टूबर 2022 में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समयसीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई। तथापि, फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के शुभारंभ के साथ, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II को पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर की स्थापनाएं करना है।

यह योजना मांग आधारित है, जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, वे योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

दिनांक 05.08.2025 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर स्थापनाओं से कुल 16.78 लाख घर लाभान्वित हुए हैं और लाभार्थियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 9280.88 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने वाले परिवार, संबंधित डिस्कॉम द्वारा स्थापना का निरीक्षण और अनुमोदन हो जाने के बाद सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने पर, सब्सिडी के संवितरण की प्रक्रिया शुरू होती है और उसे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

एमएनआरई और आरईसी लिमिटेड, राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में, पीएमएसजी-एमबीवाई के लिए, सभी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ गहन समन्वय से कार्य करते हैं ताकि चुनौतियां होने पर यदि कोई हो तो, उनकी की पहचान जा सके, और पीएमएसजी: एमबीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें।

इसके अलावा, सरकार ने योजना के अंतर्गत आवेदन तथा स्थापना प्रक्रिया को सरल करने तथा रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो दर प्लस 50 बीपीएस यानी वर्तमान के लिए 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि शुरू करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- वेंडरों के पंजीकरण की सरल प्रक्रिया की गई ताकि पर्याप्त एवं योग्य वेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है ।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है ।
- शिकायतों का समाधान समय पर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त, रेस्को/यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल को पीएमएसजी: एमबीवाई में शामिल किया गया है, जिससे डिस्कॉम/राज्य सरकारें ग्रामीण, सुदूर तथा पिछड़े क्षेत्रों में निवास कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा में सहायता कर सकें।

'रूफटॉप सौर क्षमता और राजसहायता संवितरण की स्थिति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2699 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 05.08.2025 तक PMSG: MBY की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यान्वयन स्थिति

क्र. सं.	राज्य	लाभान्वित परिवारों की संख्या	जारी किए गए सीएफए की राशि (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	43045	258.47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	29601	177.29
4	बिहार	9586	61.49
5	छत्तीसगढ	5702	23.42
6	गोवा	998	5.66
7	गुजरात	555752	2,980.73
8	हरियाणा	30500	194.29
9	हिमाचल प्रदेश	3786	26.87
10	झारखंड	728	4.66
11	कर्नाटक	17012	80.82
12	केरल	129141	869.31
13	मध्य प्रदेश	54940	364.18
14	महाराष्ट्र	399253	1,718.96
15	मणिपुर	444	3.18
16	मेघालय	21	0.12
17	मिजोरम	428	3.06
18	नगालैंड	37	0.16
19	ओडिशा	10914	66.9
20	पंजाब	8196	55.15
21	राजस्थान	67298	434.47
22	सिक्किम	10	0.07
23	तमिलनाडु	40879	240.28
24	तेलंगाना	23902	113.18
25	त्रिपुरा	671	4.48
26	उत्तर प्रदेश	186297	1,180.84
27	उत्तराखंड	40215	305.47
28	पश्चिम बंगाल	786	0.77
29	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	84	0.42
30	चंडीगढ़	614	3.83
31	डीएनएच और डीडी	399	2.86
32	जम्मू और कश्मीर	8819	61.19
33	लद्दाख	710	5.42
34	लक्षद्वीप	533	4.07
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5432	19.72
36	पुदुचेरी	1346	9.1
	कुल	**16,78,079**	**9,280.88**

*****